



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 100 राँची, गुरुवार,

20 फरवरी, 2025 (ई०)

उद्योग विभाग

संकल्प

20 फरवरी, 2025

विषय: बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि० (BSEDCL) से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे के संबंध में।

ज्ञापांक 231--बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत बिहार राज्य से अलग होकर दिनांक-15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड राज्य अस्तित्व में आया। इस क्रम में बिहार राज्य एवं झारखण्ड राज्य के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे के क्रम में अन्य इकाईयों के अतिरिक्त निम्न औद्योगिक इकाईयों का आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की कार्यवाई उद्योग विभाग, झारखण्ड राँची के द्वारा झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) राँची के माध्यम से की जा रही है-

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि० (BSEDCL) के अन्तर्गत-

(i) . बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लि० (BVSL)

(ii) . बेलट्रॉन मार्किंग सिस्टम लि० (BMSL)

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) के अन्तर्गत-

- (i). हाई टेन्सन इन्सुलेटर फैक्ट्री, नामकुम, राँची ।
- (ii). इलेक्ट्रीक इक्वीपमेंट फैक्ट्री टाटीसिल्वे राँची ।
- (iii). मैलेबुल कास्ट आयरन फॉउन्ड्री, नामकुम राँची ।
- (iv). स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना, नामकुम राँची ।
- (v). बिहार राज्य सुपर फास्फेट फैक्ट्री, सिन्दरी, धनबाद ।

1. इस क्रम में WP (PIL) No. 6507/2010 बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम कर्मचारी महासंघ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामला माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में एवं WP (C) No. 932/2022 बिहार राज्य अर्धसरकारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में श्रमिकों के बकाया भुगतान हेतु वाद दायर किया गया। इस क्रम में झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP (PIL) No. 6507/2010 में दिनांक-20.09.2019 को पारित आदेश में तत्कालिक राहत के रूप में झारखण्ड सरकार एवं बिहार सरकार को रुपये 20-20 करोड़ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में जमा करने का निदेश दिया गया। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के माध्यम से दिनांक-19.01.2024 को रुपये 20.00 (बीस) करोड़ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में जमा कराया गया। इस राशि की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक आगणक द्वारा किया गया है।
2. इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वाद संख्या-WP (C) No. 932/2022 में दिनांक-09.10.2023 को पारित न्यायादेश की कंडिका- 3 (III) के अनुसार बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० (BSEDCL) का कुल दायित्व रुपये 7.91 करोड़ एवं उक्त पारित न्यायादेश की कंडिका-11 के अनुसार बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) का कुल दायित्व रुपये 5.30 करोड़ है। लेकिन चार्टर्ड एकाउंटेंट के अद्यतन प्रतिवेदन मार्च 2024 के आधार पर बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० (BSEDCL) मात्र 7.44 करोड़ रु० का एवं बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) का कुल-5,30,28,095/- (पाँच करोड़ तीस लाख अठाईस हजार पंचानवे) रुपये का दायित्व भुगतये है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में कुल राशि रुपये 12,74,28,095.00 (बारह करोड़ चौतर लाख अठाईस हजार पंचानवे रुपये) बिहार सरकार से संबंधित इकाईयों बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० (BSEDCL) एवं बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) को झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) राँची के माध्यम की स्वीकृति दी जाती है।
3. (i) माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के माध्यम से दिनांक-19.01.2024 को झारखण्ड उच्च न्यायालय में जमा करायी गयी राशि रु० 20.00 (बीस) करोड़ रुपये मात्र पर स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

- (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायदेश के अनुपालन में राशि 12,74,28,095/- (बारह करोड़ चौदत्तर लाख अठ्ठाईस हजार पंचानवे) रुपये का भुगतान झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा), राँची द्वारा अपने संचित निधि से बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० (BSEDCL) को ₹ 7.44 करोड़ (सात करोड़ चौवालीस लाख रुपये एवं बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) को ₹ 5,30,28,095/- (पाँच करोड़ तीस लाख अठ्ठाईस हजार पंचानवे) रुपये मात्र का भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) राँची को इस राशि की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक आगणक द्वारा शीर्ष 3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं- 090- सचिवालय-01-उद्योग विभाग-07-अन्य व्यय-59- अन्य व्यय (विपत्र कोड-23-S-3451-00-090-01-00-07-59) मद में रुपये 13,21,63,000 /- (तेरह करोड़ इक्कीस लाख तिरसठ हजार ₹) मात्र के उपबंधित राशि से किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उपरोक्त प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-18.02.2025 को आयोजित बैठक में मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव।
